## भारत सरकार सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलेंड, कोचिन- 682009

Fax: 0484-2668468 Website: www.cochincustoms.gov.in Email :cochincustoms@nic.in

Sevottam compliant



## GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009

टेलीफोन

0484-2666861 to 2666864

Telephone

0484-2666774 / 2666776

Control Room 0484-2666422



An IS 15700 certified Custom House

## BY REGD.POST/AD

विषय: कर्मचारी चयन आयोग (संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2015) के जरिये निरीक्षक (परीक्षक) के

कैडर में नियुक्ति - संबन्धित।

Sub: Appointment to the cadre of Inspector (Examiner) through Staff Selection

Commission (Combined Graduate Level Examination, 2015) - Reg.

\* \* \* \* \* \*

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड के पत्र सं. A-12034/SSC/03/2015-Ad.III B (Vol. II) दिनांक 16 दिसंबर, 2016 का अनुसरण करते हुये और शारीरिक क्षमता परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित निम्नलिखित उम्मीदवारों को निरीक्षक (परीक्षक) के रूप में स्थानापन्न तौर पर काम करने के लिए वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 7 में मूल वेतन रु. 44,900/- और समय समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्तों सहित एतदद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

In pursuance of the Central Board of Excise and Customs letter F. No. A-12034/SSC/03/2015-Ad.III B (Vol. II) dated 16<sup>th</sup> December, 2016 and on successful completion of the Physical Endurance Test, the following candidates nominated by the Staff Selection Commission are hereby offered appointment to officiate as Inspector (Examiner), in pay level 7 of Pay Matrix with Basic Pay Rs 44,900/- and with usual allowances that are admissible to Central Government Employees from time to time.

क्र.सं.	उम्मीदवाद का नाम Name of the candidate		Category
Sl.No.	S/Shri/Smt.		Category
1	मनीष कुमार तिवारी	Manish Kumar Tiwari	UR
2	यशवंतराव कामतम	Yeshwanthrao Kamtham	OBC
3	रामनाथ पी.ए.	Ramnath P A	OBC

- 2. नियुक्ति की शर्तें निम्नितिखित हैं। The Terms of appointment are as under:
  - वे दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे और उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर उन्हें
     विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
    - He / She will be on probation for a period of 2 years and will have to pass the Department exams within 2 years from the date of his /her appointment.
  - b) यदि कोई धर्म परिवर्तन करें तो उसके तुरंत बाद इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाए। He / She will have to intimate this office any change in his / her religion, if any, immediately after he / she adopts the change.
  - c) उनको भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेना होगा या निर्धारित प्रपत्र में पहले कहे अनुसार एक विधिपूर्ण समर्थन देना होगा।

    He / She will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of
    - He / She will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or make a solemn affirmation to that effect in the prescribed form.
  - d) उनको विभाग और भारत सरकार में प्रचलित नियम, अनुशासन और आचरण का पालन करना होगा।
    - He / She will have to conform to the rules, discipline and conduct prevailing in the Department and those of the Government of India.
  - e) कार्यालय को उनके द्वारा किसी अन्य सरकारी कार्यालयों में या कहीं और नियुक्ति के लिए दिये आवेदन को अग्रेषित करने या रोकने की पूर्ण कार्य स्वतन्त्रता है।

The Office has full discretion to forward or withhold his / her application for appointment in other Government Officers or elsewhere.

- f) यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना झूठी साबित हो या यह पाया जाये कि उम्मीदवार ने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया है तो उन्हें सेवा से निकाल देने की संभावना है और उन्हें उचित परिणामी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। If any declaration given or information furnished by the candidate proves to be false or if the candidate is found to have willfully suppressed any material information, he / she will be liable to be removed from service and face consequential action as may be deemed fit.
- 3. यदि वे निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नियुक्ति की पेशकश स्वीकार करते हैं, तो उन्हें दिनांक <u>27.02.2017</u> को या इससे पहले कार्यभार संभालने के लिए सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलेंड, कोचिन-682009 के समक्ष रिपोर्ट करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार संभालने के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह नियुक्ति की पेशकश स्वीकार करने में रुचि नहीं रखता है और बिना किसी अगली सूचना के यह नियुक्ति की पेशकश रद्द की जाएगी।

If the candidates are willing to accept the offer of appointment on the basis of the stipulated conditions, they should report for duty on or before 27.02.2017 before the Commissioner of Customs, Custom House, Willingdon Island, Cochin –682 009. If the candidate fails to report for duty within the prescribed time, it will be presumed that he/she is not interested in accepting this offer of appointment and the offer of appointment shall stand cancelled without further notice.

4. उपर्युक्त व्यक्ति जिस दिन से वास्तव में कार्यभार संभालते हैं, उसी दिन से उन्हें सेवा में कार्यभार संभाला हुआ माना जाएगा। उन्हें भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

The above individuals will be considered to have joined service from the date on which they actually join duty. They are liable to be transferred anywhere in India.

- 5. नियुक्ति पर कार्यभार संभालने के लिए कोई यात्रा भत्ता की अनुमित नहीं दी जाएगी।
  The candidate will not be entitled to any traveling allowance for joining on appointment.
- 6. कार्यभार संभालने के लिए आते समय उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज़ मूल रूप में अपने साथ लाने होंगे।
  At the time of joining they should bring the following documents in original.
  - a) जन्म की तारीख के समर्थन में प्रमाणपत्र। Certificate in support of Date of Birth.
  - b) शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में प्रमाणपत्र। Certificate in support of Educational Qualification.
  - c) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के मामले में जाित प्रमाणपत्र (केवल निर्धारित फार्म में) Caste Certificate in case of SC/ST/OBC (only in the prescribed form).
  - d) राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी के मामले में नियोक्ता का कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र एवं अच्छे आचरण संबंधी प्रमाणपत्र। यह प्रमाणपत्र इस नियोक्ता अधिकारी के संदर्भ में प्राप्त किया जाना चाहिए।

    Discharge Certificate and certificate of good conduct from the employer in case the candidate is employed in any of the Offices under the State / Central government / Public Undertaking presently. The certificate should be obtained with reference to this Offer of Appointment.
- 7. अभ्यर्थी जिस तारीख़ से कार्यभार ग्रहण करता है, उस तारीख से 2 वर्ष की अविध तक परिवीक्षा पर होगा। यह नियुक्ति अनंतिम है और जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों के उचित माध्यम द्वारा सत्यापन पर निर्भर करती है। यदि सत्यापन में यह सामने आता है कि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के होने या अ.पि.व. के मामले में 'क्रीमी लेयर' में शामिल न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, गलत साबित होता है, तो उसकी सेवा बिना किसी कारण बताए तत्काल समाप्त की जाएगी और झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के मामले में बिना किसी पक्षपात के भारतीय दंड संहिता में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। (केवल अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए लाग्)।

The candidate will be on probation for a period of 2 years from the date on which he/she reports for duty. The appointment is provisional and is subject to receipt of Character and Antecedent verification report from the concerned District/Police Authorities and verification of Educational/Caste / Tribe / OBC Certificates through proper channel. On receipt of any adverse report or if the verification reveals that the claim of belonging to SC / ST / OBC or in the case of OBC, the claim of not belonging to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his/her service will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.

8. यह भी सूचित किया जाता है कि वे निश्चित अंशदायी पेंशन प्रणाली (डीसीपीएस) द्वारा शासित होंगे। इस श्रेणी में वरिष्ठता का निर्धारण प्रवृत्त आदेशों के अनुसार किया जाएगा और इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

It is also informed that he/she will be governed by the Defined Contributory Pension Scheme (DCPS). The Seniority in the grade will be determined according to the orders in force and communicated later.

Sd/-

(डॉ. के. एन. राघवन Dr. K. N. RAGHAVAN) सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

F.No: S45/01/2017 Estt Cus तारीख Dated: 06.02.2017

//अन्प्रमाणित ATTESTED//

(रेखा तुलसीदास REKHA TULSIDAS)
प्रशासनिक अधिकारी (स्था.) ADMINISTRATIVE OFFICER (Estt.)

सेवा में To

- Shri Manish Kumar Tiwari
   H No 16, Srinagar
   Near Tiranga Chauraha
   Shuklaganj
   Unnao, Uttar Pradesh 209 861.
- 3. Shri Ramnath P A
  Paittala House
  Near Civil Station West Gate
  Kakkanad PO
  Ernakulam 682 030.
- Shri Yeshwanthrao Kamtham 2-1-147, Pragathi Nagar Peddapalli , Karim Nagar Telangana – 505 172.